(अध्यक्ष पद हेतु)

मोबाईल नं. :- +91 9549597628

(जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर)

बीकॉम द्वितीय वर्ष

कम्पनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति

- 1. एक निजी कम्पनी को परिभाषित कीजिये । एक निजी कम्पनी के विशेषाधिकारों और छूटो का वर्णन कीजिये
- 2. आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिये
- 3. ऋणपत्र कितने प्रकार के होतें है , प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिये
- 4. विमोच्य शोध पूर्वाधिकार अंशो के निर्गमन तथा उसके शोधन सम्बन्धी सन्नियम की क्या व्यवस्थाएं हे।
- 5. संचालक पहचान क्रमांक सम्बधी प्रावधानो का उल्लेख कीजिये।
- 6. कम्पनी सचिव के कर्तव्यों का वर्णन कीजिये।
- 7. परामर्शदात्री समिती पर एक टिप्पणी लिखिये
- 8. शोधन क्षमता की घोषणा पर एक टिप्पणी लिखिये।
- 9. सेबी की विभिन्न अधिकारों का वर्णन कीजिये ।
- 10. साधाराण एवं विशेष संकल्प में अन्तर कीजिये।
- 11. पार्षद सीमानियम कम्पनी का एक अपरिवर्तनीय चार्टर है। विवेचना कीजिये तथा विषय सामग्री बताइये
- 12. कम्पनी के ऋण प्राप्त करने के अधिकारी के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान बतलाईये तथा अनाधिकृत ऋण प्राप्त करने के परिणामों का विवेचना कीजिये।
- 13. अशंधारियों के बहुमत के प्रभुत्व के नियम तथा इस नियम के अपवादो को समझाइये।
- 14. किन किन परिस्थितयों में अधिकरण कम्पनी का समापन आदेश दे सकता । अनिवार्य समापन के सम्बंध में वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिये।
- 15. किसी कम्पनी की सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में आप क्या जानते है । संक्षेप में उसके कर्तवें एवं अधिकारों का उल्लेख कीजिये।
- 16. एक निजी कंम्पनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है।
- 17 अंशदाता कीन होते है।
- 18. कंपनी की सभा कौन बुला सकता है।
- 19 लांभाश क्या है।
- 20. प्रबंध संचालक से क्या तात्पर्य है।

Best of luck